


| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----------------|---|---|
| <u>10/12/24</u> | <p>पत्रावली पेग हई बढील गाडी 59 वागीना बाद झरगनु घाट 88, 188 92(अ) के तहत स्विकार किया गया विस्तृत आदेश प्रथम से तैयार कर पत्रावली में शा. नि. करी गये। पत्रावली फैलल शुमार होकर नम्बर से कम ही। जाणा हफतर दाखिल हो</p> <p style="text-align: right;">  उपरवण्ड अधिकारी किशलगढ (अजमा) </p> | |

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ (अजमेर)
व इजलास निशा सहारण (आर.ए.एस.)

1. रामजीवण पुत्र श्री रामकरण आयु 71 वर्ष जाति गुर्जर निवासी टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान। (मृतक)
- 1/1 बरजी पत्नि स्व. श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
- 1/2 भागचन्द पुत्र स्व. श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
- 1/3 फूला पुत्री स्व. श्री रामजीवण पत्नि श्री लक्ष्मण गुर्जर, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ हाल निवासी अराँई मार्ग गुर्जरो का बाडा , किशनगढ तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
- 1/4 छोटू पुत्र स्व. श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
- 1/5 जनता पुत्री स्व श्री रामजीवण पत्नि श्री जग्गाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ हाल मेहगांव तहसील पीपलाद जिला नागौर राजस्थान।
- 1/6 सोपाल पुत्र स्व. श्री रामजीवण जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
- 1/7 सायर पुत्री स्व. श्री रामजीवण पत्नि श्री विश्राम जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ हाल निवासी ग्राम मोतीराम तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान।
समस्त जाति बैरवा निवासीगण ग्राम गेहलपुर तहसील अराँई जिला अजमेर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1. दयाल पुत्र कल्ला , आयु 35 वर्ष जाति गुर्जर
2. गोपाल पुत्र कल्ला आयु 30 वर्ष जाति गुर्जर
3. सूरजकरण पुत्र कल्ला आयु 29 वर्ष जाति गुर्जर सर्व निवासी ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 188, 92अ, आर. टी. एक्ट
मुकदमा नम्बर : 286/2018
निर्णय दिनांक :

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान् की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस सुनने के बाद आज तारीख 10/12/24 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी निशा सहारण, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के



उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

लिये पेश होने पर वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम टोंकडा तहसील किशनगढ स्थित वादअधीन भूमि खसरा संख्या 195 रकबा 14 बीघा 18 बीरवा में से 05 बीघा 11 बिस्वा किस्म बरानी द्वितीय में वादी को खातेदार घोषित किया जाकर तहसीलदार किशनगढ को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 को इस आशय की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के 05 बीघा 11 बीरवा हिस्से में कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

यह डिक्री आज तारीख ...10/12/24.. को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(निशा सहारण)आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)